दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्ताने
<u>दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम</u>

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक: जपुती- २२१९/प्र.क्र. ७५/२९,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : १७ मे, २०१९.

वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.जपुती२०१८/प्र.क्र.२२१८/ प्र.क्र.१९५/२९, दि.२६/१२/२०१८
२. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे क्र.१९/९/२०१९- पब्लीक, दिनांक ०१ मे,२०१९ चे पत्र

परिपत्रक :-

संदर्भांकित अनु.क्र.१ येथील दिनांक २६/१२/२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक २१ मे, २०१९ रोजी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. तसेच गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भांकित अनु.क्र.२ येथील दिनांक ०१ मे, २०१९ च्या पत्रान्वये दिनांक २१ मे, २०१९ रोजी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्ताने दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत सूचीत केले आहे (प्रत सोबत जोडली आहे)

३. तरी गृह मंत्रालय भारत सरकार यांनी दि ०१ मे, २०१९ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांच्या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी व **" दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस"** मंगळवार, दिनांक २१ मे, २०१९ रोजी पाळण्यात येवून त्याअनुषंगाने **"दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा"** कार्यक्रम मध्यान्ह पूर्व वेळेत घेण्यात यावा असे याद्वारे सूचीत करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०१९०५१७१३४९२०५१०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

LALIT NAMDEO SADAFULE

Digitally signed by LALIT NAMDEO SADAFULE
DN: CN = LALIT NAMDEO SADAFULE, C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = NA
Date: 2019.05.17 13:53:57 +05'30'

(ल. ना. सदाफुले)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रति,

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मुंबई,
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
३. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव तसेच स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
४. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
५. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय मुंबई,
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग,
८. सर्व विभागीय आयुक्त,
९. सर्व जिल्हाधिकारी,
१०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
११. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका महाराष्ट्र राज्य,
१२. निवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली,
१३. निवड नस्ती (सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन २९).

दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस

प्रतिज्ञा

" आम्ही, भारताचे नागरिक, आपल्या देशाच्या अहिंसा व सहिष्णूतेच्या परंपरेविषयी दृढ निष्ठा बाळगून याद्वारे, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा आमच्या सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करण्याची गांभीर्यपुर्वक प्रतिज्ञा करत आहोत. आम्ही प्रतिज्ञा करतो की, आम्ही सर्व मानवजातीमध्ये शांती, सामाजिक एकोपा आणि सामंजस्य टिकवू व वर्धिष्णू करु, तसेच मानवी जिवीत मूल्ये धोक्यात आणणा-या विघटनकारी शक्तींचा प्रतिकार करु."

MOST IMMEDIATE

No. 19/9/2019-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
****

North Block, New Delhi,
Dated the 1st May, 2019

To

Chief Secretaries of all State Governments,
Administrators of all Union Territories, and
Secretaries of all Ministries/Departments
of the Govt. of India.

Subject: **Observance of Anti-Terrorism Day on 21st May.**

Sir/Madam,

I am directed to say that every year **21st May** is observed as Anti-Terrorism Day. The objective behind observance of this day is to wean away the youth from terrorism and the cult of violence by highlighting the sufferings of common people and showing as to how it is prejudicial to the national interest.

2. The ways in which this objective can be achieved have been enumerated below : -

(i) by organizing debates/discussions in schools, colleges and universities;

(ii) holding of symposiums/seminars, lectures, etc. on the dangers of terrorism& violence;

(iii) a determined and sustained drive to bring about a mass awakening against terrorism and violence by making appropriate projection through the media i.e. newspapers, journals, magazines, All India Radio and Doordarshan etc. including postering and pamphleteering;

(iv) for the mass education programme, to highlight the ill-effects of violence and terrorism, imaginative use of the electronic/print media by involving prominent sports, film and other prominent personalities and distribution of T-Shirts with attractive anti-violence/terrorist slogans;

(v) involving voluntary organizations, social and cultural bodies to have their own programmes through lectures, talks, discussions, musical and recitation programmes and cultural functions;

(vi) anti-terrorism/violence pledge to be taken in all Government offices, public sector undertakings and other public institutions.

Contd/-p.2

20

3. The above are some illustrative items of the proposed programme; you may kindly add or modify to suit special requirement, if any, prevailing in your State. I request you to kindly look into the matter personally and provide guidance to all concerned in your State including necessary publicity, to organise various programmes all over the State in observing 21st May as 'Anti-Terrorism Day' in a most befitting manner. The ceremony may preferably be held in the forenoon.

4. An important feature of the observance of the Anti-Terrorism Day is the "pledge-taking" ceremony in all Government offices, public sector undertakings and other public institutions. A copy of the "pledge" (both in English & Hindi) is enclosed.

5. You are, accordingly, requested to organize appropriate programmes, including the pledge-taking ceremony, to observe the Anti-Terrorism Day in a befitting manner.

Yours faithfully,

(S.K. Shahi)
Joint Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23092722

Encl. : As above

No. 19/9/2019-Public New Delhi, the 1st May 2019.

Copy, with enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. President's Secretariat
2. Vice-President's Secretariat
3. Prime Minister's Office
4. Registrar, Supreme Court of India
5. Registrar, Delhi High Court
6. Cabinet Secretariat
7. Rajya Sabha Secretariat
8. Lok Sabha Secretariat
9. NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi.
10. Election Commission of India
11. Union Public Service Commission
12. Office of Comptroller & Auditor General of India
13. Central Vigilance Commission
14. University Grants Commission
15. National Commission for SCs
16. National Commission for STs
17. National Commission for Backward Classes
18. National Commission for Minorities
19. National Commission for Women
20. National Human Rights Commission
21. Reserve Bank of India
22. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs
23. Ad.III Section/MHA for making necessary arrangement in connection with the observation of Anti-Terrorism Day.
24. Principal Information Officer, M/o Information & Broadcasting, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 for appropriate media coverage of the event
25. ADG (M&C), MHA

(S.K. Shahi)
Joint Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23092722

२

अति तत्काल

सं. 19/9/2019 पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक: 01.05.2019

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/,
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : 21 मई को आतंकवाद-विरोधी दिवस मनाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हर वर्ष 21 मई को 'आतंकवाद-विरोधी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को आतंकवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य आम आदमी के कष्टों को उजागर करके और यह बताकर कि आतंकवाद तथा हिंसा का मार्ग राष्ट्रीय हित के प्रति किस प्रकार हानिकारक है, युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है।

2. इस उद्देश्य को निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है,

(i) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों मे वाद–विवाद / चर्चायें आयोजित करके;

(ii) आतंकवाद और हिंसा के खतरे के संबंध में परिचर्चा / सेमिनार, व्याख्यान आदि आयोजित करके;

(iii) पोस्टर और पैम्फलेट लगाने सहित मीडिया अर्थात समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि के माध्यम से उचित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करके आतंकवाद और हिंसा के विरूद्ध जन–जागृति लाने के दृढ़ और निरंतर अभियान चलाकर;

(iv) हिंसा और आतंकवाद के कुप्रभावों को प्रकाश में लाने हेतु जन–शिक्षा कार्यक्रम के वास्ते खेलों, फिल्मों की प्रमुख हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करके इलैक्ट्रानिक / प्रिंट मीडिया का कल्पनात्मक प्रयोग करना और ऐसी टी–शर्टों का संवितरण करना जिन में हिंसा / आतंकवाद के विरोध में आकर्षक नारे लिखे हों;

(v) स्वयं–सेवी संगठनों, सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों को व्याख्यानों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, संगीत और कविता पाठ कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक समारोहों के रुप मे अपने स्वयं के कार्यक्रमों के लिए तैयार एवं शामिल करना;

(vi) सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद / हिंसा–विरोधी शपथ ली जाए।

3. उपरोक्त मदें प्रस्तावित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। आप अपने राज्य की स्थिति के अनुसार एवं अपनी विशेष जरुरतों, यदि कोई हों, के अनुरुप इन कार्यकमों में कुछ जोड़ सकते हैं या इनमें संशोधन कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले मे व्यक्तिगत रुप से रुचि लें और अपने पूरे राज्य में समुचित ढंग से 21 मई को आतंकवाद–विरोधी दिवस के रुप में मनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते आवश्यक प्रचार करने सहित अपने राज्य के सभी संबंधितों का मार्ग दर्शन करें । इस समारोह को पूर्वाह्न में ही किए जाने की तरजीह दी जाए।

4. आतंकवाद-विरोधी दिवस को मनाने की एक खास विशेषता सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में "शपथ-ग्रहण" समारोह का आयोजन करना है। "शपथ" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में) संलग्न है।

5. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आतंकवाद-विरोधी दिवस को उचित ढंग से मनाने के लिए शपथ-ग्रहण समारोह सहित उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करें।

<u>संलग्नक:</u> यथोपरि

अवदीय,

(एस. के. शाही)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 23092722

24

संख्या 19/9/2019-पब्लिक नई दिल्ली दिनांक: 01.05.2019

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, अग्रेषित :

1. राष्ट्रपति सचिवालय
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय
3. प्रधानमंत्री कार्यालय
4. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
5. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. राज्य सभा सचिवालय
8. लोक सभा सचिवालय
9. नीति आयोग
10. भारत का निर्वाचन आयोग
11. संघ लोक सेवा आयोग
12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
14. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
15. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
17. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
18. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
19. राष्ट्रीय महिला आयोग
20. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
21. भारतीय रिजर्व बैंक
22. गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय
23. आतंकवाद-विरोधी दिवस को मनाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने हेतु प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
24. कार्यक्रम के यथोचित मीडिया कवरेज के लिए प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
25. ए. डी. जी. (एम. एंड सी), गृह मंत्रालय

(एस. के. शाही)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 23092722

शपथ

हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा मे दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, समाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।

PLEDGE

We, the people of India, having abiding faith in our country's tradition of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with our strength, all forms of terrorism and violence. We pledge to uphold and promote peace, social harmony, and understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption threatening human lives and values.